

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
EASTERN ZONE BENCH, KOLKATA

IN THE MATTER OF:

ORIGINAL APPLICATION NO. 19/2024/EZ

IN RE : NEWS ITEM APPEARING IN HINDUSTAN DATED 25.11.2023 TITLED
"गौरीघाटसेखुलेआमबालूकाअवैधखनन, माफियालगारहेकरोडोको ाचना"

INDEX

Sl. No.	Particulars	Page No.
1.	Affidavit filed by Deputy Commissioner, Seraikela-Kharswan, Government of Jharkhand.	1 - 7
2.	Annexure I	8 - 13
3.	Annexure II	14 - 46
4.	Annexure III	47
5.	Annexure IV	48 - 64

AISHWARYA RAJYASHREE
Advocate
Bar Association Room No. 5,
High Court, Calcutta
Chamber: 8/1, K.S. Roy Road,
Kolkata: 700001.
(M)9874995669
Email: advaish.hc@gmail.com

SoL No 6409/2024

07/12/24

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL AT KOLKATA


OA No.19 of 2024 (EZ)

(Earlier OA No. 727/2023/PB)



IN RE: NEWS ITEM APPEARING IN HINDUSTAN DATED 25.11.2023 TITLED

"गौरीघाटसेखुलेआमबालूकाअवैधखनन, माफियालगारहेकरोडों चूना"



_____ Applicant

Counter affidavit on behalf of respondent the Deputy Commissioner Seraikela-Kharswan, Jharkhand in compliance of order dated 28.2.2024 passed in OA No. 19/2024/EZ (Earlier OA No. 727/2023/PB in the matter of Gouri Balu Ghat.. ..

I, Ravi Shankar Shukla/o Late R.S Shukla posted as DC Seraikela-Kharswan, Seraikela 833 219,

Handwritten signature in blue ink.

Jharkhand duly authorised hereby solemnly affirm and state as follows:



1. That at present I am working and posted as the Deputy Commissioner Seraikela-Kharswan, at Seraikela being the Nodal office for all logistic purpose and for filing the affidavit bringing on record the Committee Report and as such I am well acquainted with fact and circumstances of the instant case.
2. That I have gone through the order dated order dated 28.2.2024 passed in OA No. 19/2024/EZ (Earlier OA No. 727/2023/PB in the matter of "Gouri Balu Ghat" by the Hon'ble NATIONAL GREEN TRIBUNAL (NGT in short) and understood the contents therein.
3. That the instant OA was taken up by the NGT based on news item related to illegal sand (minor mineral) mining prevalent in the specific areas.

It is humbly stated and submitted that in view of the earlier order of the Hon'ble NGT dated 20.12.2023, a Joint Committee comprising of the District Magistrate, State Pollution Control Board and Integrated Regional Office was

De
 RA

duly constituted. The NGT had instructed the said Committee to visit the site, collect relevant information and submit a factual report within two months and transferred the case to NGT Eastern Zone Kolkata Bench as the matter pertains to State of Jharkhand which lies under the EZ jurisdiction.



The case was then taken up by the Hon'ble NGT EZ on 28.2.2024 as OA No. 19/2024/EZ, a Committee has been reconstituted comprising of the Deputy Commissioner Seraikela-Kharswan, Senior Scientist, Integrated Regional Office Ministry of Environment, Forests and Climate Change, Ranchi.

It is stated and submitted that the said Committee furnished a detailed report with findings, collected photographs, suggested remedial steps and action taken thereof with valuable recommendation.

(Copy of the Report of the Committee

filed herewith as Annexure

.....01.....)

4. That it is humbly stated and submitted that the Mines and Geology Department, Government of Jharkhand vide its Sankalp sankhya 563 dated 5.10.2005 has constituted a Task Force at district level to review, follow-up and control the illegal mining activities in respective district and has further expanded their jurisdiction vide memo no. 1188 dated 31.8.2013.



(Photo copy of Memo no. 1188 date 31.8.2013, FIR no. 11/2024, seizure List, Photographs, FIR No. 84/2024 dated 9.4.2024, FIR No. 85/2024, FIR no. 86/2024, filed herewith as Annexure02.....)

5. That it is stated and submitted that the JSPCB vide its Ref. No. B-633 dated 1.3.2024 has directed the DC-cum-Chairman District Task Force (Mining) Seraikela-Kharswan and the District Mining Officer-cum- Member Secretary, District Task Force (Mining) Seraikela-Kharswan to submit Action Taken Report.


DO
-28

h

(Copy of Ref. No. B-633 dated
1.3.2024 filed herewith as
Annexure ...03...)


6. That the District Mining Officer-cum- Member Secretary, District Task Force (Mining) Seraikela-Kharswan vide their letter no. 159/M dated 9.3.2024 has furnished Action Taken Report against illegal mining in the light of the earlier order dated 22.2.2024 in the instant OA. It has been informed that during inspection on 9.1.2024 at 11:00 Am at Gouri and Sapra Balughat some irregularities were found, an FIR was lodged in the Kapali O.P. in the district of Seraikela-Kharswan, vide FIR no. 11/2024 under section 414/34 of the IPC and section 4, 54, 21, 9 of the Jharkhand Mining Rules 2004, Mines & Mineral Development Act 1957 and Jharkhand Mines, Prevention of Illegal Mining & Transport Rules 2017 respectively.

(Copy of letter no. 159/M dated 9.3.2024,
letter no. 547/confidential dated 1.4.2024
of DC Seraikela-Kharswan, letter no.
307/dev. Dated 1.4.2024 of Special



De
sp

Branch Ranchi, Letter no. 233/M dated 26.3.2024 of District Mining Officer Seraikela, Enquiry report, vide report of the Committee dated 6.4.2024, Seizure list dated 9.1.2024, Letter no. 654/M dated 12.10.2023 of the District Mining Officer, Seraikela-Kharswan along with steps taken, list of 30 numbers of FIR lodged, seizure of 51 numbers of incriminating goods/articles, 29 numbers of Raids conducted, 11 numbers of arrests made and other relevant documents filed herewith as Annexure04.....)



7. That the statement made in foregoing paragraphs is true to my knowledge and the Annexure are true copies of the originals.
8. That I have gone through the statement of fact and understood the same to be correct.

DP
DP

9. That the answering respondents by leave of the Hon'ble court intend to file additional statement if so required.

10. That this Affidavit with steps taken, in compliance of order of Hon'ble Tribunal is filed bona fide and in the interest of justice.

12/4/24
उपायुक्त
Deponent

Drafted by: *Debasish*

Debasish Jyotishi, GP/Advocate, Seraikela-Kharswan



Ravi Shankar Shukla C.D. C. Seraikella Kharsawan
I/We *Debasish Jyotishi* Adv. Seraikela
Sri. *Debasish Jyotishi* at Seraikela. *12/4/24* AM/PM
Date *12/4/24*
Solemnly affirmed before me *N. Mahapatra*
N. MAHAPATRA
NOTARY
Seraikela-Kharsawan
12/4/24

ANNEXURE 1

Report on large scale illegal mining of sand at Gauri Ghat, Adityapur, Gamharia to Chandil, P.S. Kapali, District- Saraikel Kharsawan, State of Jharkhand
in the matter of O.A No. 19/2024/EZ pending before Hon'ble National Green Tribunal, Eastern Zone, Kolkata (Tribunal on its own motion Vs State of Jharkhand & Ors)

I. Background

- a. This matter has been taken up by Hon'ble NGT, Principal Bench in O.A. No. 727/2023 by exercising suo-moto on the basis of news report published in Daily Newspaper 'Hindustan' on 25.11.2023 stating therein that there is large scale rampant illegal mining of sand at Gauri Ghat, Adityapur, Gamharia to Chandil, P.S. Kapali, State of Jharkhand. The article mentioned *that no action has been taken by concerned authorities and heavy machines are being used for illegal mining activities. That, there is large scale illegal mining of sand which is being done from Swarnrekha River at Gauri Ghat which is harming the river. Local Police and administration is doing nothing about illegal mining as more than 100-500 tractors, JCB & Hywa are involved in illegal mining of Sand which is being sold openly in market on double price. Due to the overspeeding Tractors and Hywa involved in illegal mining there are cases of frequent accident in the area. There was a barrier established by District administration in Sapra main road to curb illegal mining which has been removed since last one year.*

In view of the above Hon'ble NGT had earlier constituted a Joint committee vide its order dated: 20.12.2023 of the following members: -

- I. District Magistrate, Godda
- II. State Pollution Control Board
- III. Integrated Regional Office, MoEF & CC, Ranchi

Hon'ble NGT had instructed the committee to visit the site, collect relevant information and submit a factual report within two months and transferred the case to NGT Eastern Zone Bench as matter pertains to State of Jharkhand which lies under Jurisdiction of Eastern Zone.

The Case was then taken up by Hon'ble NGT Eastern Bench on 28.02.2024 as Original Application no. 19/2024/EZ and the committee was reconstituted of following members: -

- I. Deputy Commissioner, Saraikela-Kharsawan
- II. Senior Scientist, Jharkhand State Pollution Control Board
- III. Senior Scientist, Integrated Regional Office, Ministry of Environment, Forests and Climate Change, Ranchi

2023
12/04/24

12/04/24

12/4/24

1

Hon'ble NGT has instructed that "The Committee shall visit the sites in question where illegal sand mining is alleged to be going on and submit its report on affidavit within one month. It was also directed that " in case violations are found, the Committee shall identify the violators so that they may be implicated in the present proceedings in the array of Respondents and be given an opportunity of hearing".

As per the NGT order "The Deputy Commissioner, Saraikela-Kharsawan, shall be the Nodal Office for all logistic purposes and for filing the affidavit bringing on record the Committee Report".

b. Accordingly, a committee was constituted with the following members:

1. Shri Rajeev Ranjan, Scientist-E, Regional Office, Ranchi, MoEF&CC, Govt. of India.
2. Shri Ram Pravesh Kumar, Regional Officer, Jharkhand State Pollution Control Board, Dhanbad.
3. Shri Sanjay Kumar Das, Additional Deputy Commissioner, Saraikela Kharsawan, Jharkhand.

Smt. Shubhra Rani, S.D.O., Chandil, Shri Sunil kr. Rajwar, SDPO, Shri Amit Kr. Srivastava, C.O., Chandil, Shri Jyoti Shankar Satapathy, D.M.O. and Shri Ashutosh Anand, A.E.E., JSPCB also accompanied committee members during the inspection.

II. Findings of the Committee during the site inspection: -

The Committee members inspected/visited the Gauri Ghat on Swarnrekha River sites on 09.04.2024 and facts found are as given below: -

1. Tractor wheel footprints were visible on banks of Swarnrekha river on both sides of Gauri Sapra bridge (see photos 1,2,3) which indicated tractors ply along the river.
2. At some places in the inactive point bar, small scale mining of the deposited materials was observed where the mined-out materials may be screened and collected by the villagers.
3. As per the discussion with the local people it has been came to know that the local people are used to collect the sand from the middle part of the river which are submerged under water by using *belcha* and then collected over the Danga made by plastic drum and GI sheets, then bring to the river bank and dumped there. After then as per the requirement, they sale those collected sand. They also told that in one day a group of six people can collect one to two tractors of sand.


12/04/24


12-4-24


12/4/24

4. A kutchra road was observed from the Gauri Sapra bridge that went towards the river bank and Gauri Ghat (see photo 6). In addition to this road, two more roads were observed approaching the Gauri Ghat (see photos 14,16 & 18). This indicates that these routes may act as conduits for tractor to transport sand from the river bed.
5. Sand deposition was not observed at the pillars of Gauri Sapra bridge (see photo 7) indicating sand has been extracted from the river there, but no fresh mining of sand is being observed in those area.
6. Sand was observed over few rafts made using plastic drum and tin sheets on the river at the banks (see photos 5,8,22,23).
7. Small heaps of sand were observed at river side at many locations (see photo 9).
8. Excavations and sand heaps /accumulations were observed on the banks of river (see photo 11,24).
9. No JCB or excavation machine/HEMM was found during inspection and no evidence of HEMM /footprints observed in the river side or at bank. Also, no coments regarding such accident was informed by the villagers.
10. Large stocks of sand approx. 10,000 cubic feet were observed adjacent to river Swarnrekha at the Gauri Ghat (see photos, 15,19,20).
11. A sieve was observed on the river bank that may be utilized for separation of coarse sand from fine sand (see photo 17).
12. The above indicates that illegal sand mining and storage is being done at Gauri Ghat on Swarnrekha river. It was known that Environmental clearance or CTE/CTO has not been issued for Gauri Ghat sand ghats at Swarnrekha river and therefore the whole mining, storage, transportation was illegal.
13. At a place on the Swarnrekha river bank, pebbles, stones were also collected in few sacks which indicated that people are gathering stones/pebbles also from river for sale (see photo 10) that further damages the river.
14. Large stocks of sand were observed at two places in Gauri village (see photos 25,26& 27,28). Measurement of sand stocks was done by the district officials accompanying NGT committee members. Geo-coordinates of the above two places are (i) 22°50'12.0"N 86°08'24.0"E (ii) 22°50'12.0"N 86°08'19.0"E. Those stocks are were of quantity 5600

21/04/24

Rajni
12.4.24

12/4/24

3

cubic feet and 3300 cubic feet each and stored on private land inside Gauri village, but no responsible person was found on the site during the inspection. It was instructed to District officials to find the persons responsible for such illegal storage and take action against them.

15. The river bank close to the Gauri village is the deposition side of the meandering of the river Swarnrekha, where mixed deposits of gravels, sand and mud are observed.
16. Some local people were interacted during the inspection (see photo 16): -
 - i. Shri Rajesh Kumhar, S/o- Ravi Kumar, vill- Puri silli
 - ii. Shri Salkhu Soren, S/o- Chunu Soren, vill- Kalabeira
 - iii. Shri Niraj Kumar, S/o- Mahendra Singh, vill- Gauri
 - iv. Shri Ganesh Sardar, vill- Puri silli.(see photos

These people informed that sand is being lifted by local people manually using belcha, Dhaamaa and raft(donga) made using plastic drum and tin sheets. 5-6 such rafts were found inside the river. Local people also informed that earlier JCB and Hywa and other heavy machineries were also used to do illegal mining in this area but it has stopped since last 2 years as the villagers had protested against the large HEMM utilisation. Local villagers informed that since last 2 years only local people are involved in manual mining from the river and river bed and the sand being collected by labours is transported through tractors.

17. District mining officer has informed that in the month of January action has been taken on 09.01.2024 against the illegal mining. Gauri ghat and Sapra Balughat was inspected by the D.M.O. and irregularities were found. Several tractors, Bamboo, Tin Sheets, Plastic & Iron Drums were confiscated and FIR Case no. 11/2024 was registered. (Copy enclosed as Annexure -1)

From the above description it implies that the small-scale illegal mining at Gauri Ghat at Swarnrekha river is being done by people using manual labours, rafts/boat and tractors. Illegal storage of sand was also observed during inspection by committee members.

Note: Photos taken during inspection and referred above are enclosed in annexure V.

2-2-24
12/04/24

Rajesh
12.4.24

Salkhu

III. **Remedial steps/Action Taken:**

Following action was taken to prevent illegal/ unauthorized mining from Gauri Ghat as reported by District officials: -

1. The Sand Stock at river bank was seized and handed over to Kapali O.P.
2. F.I.R. no. 0084 Dated: 09.04.2024 has been registered against unknown under sections 07 and 13 of Jharkhand Minor Minerals Prevention of illegal Mining, Transportation and Storage Rule, 2017, under sections 4 & 54 of Jharkhand laghu Khanij samanudaan niyamvali 2004 and under section 414 of IPC. (Copy enclosed as Annexure -2)
3. Two Trenches having depth of six feet are being made across the prevailing transportation route which gives access to tractors for the transportation of illegally mined sand. (Photos submitted by District officials enclosed)
4. Four (04) numbers of boats were confiscated and destroyed as reported by district officials.
5. F.I.R. no. 0085 Dated: 09.04.2024 has been registered against Shri Bablu Singh, s/o- Shri Hazari Prasad Singh, at- village Gauri, Kapali, Chndil after enquiring about one of the the illegal sand stock (22°50'12.0"N 86°08'24.0"E) which was found stocked inside the Gauri village under sections 07 and 13 of Jharkhand Minor Minerals Prevention of illegal Mining, Transportation and Storage Rule, 2017, under sections 4 & 54 of Jharkhand laghu Khanij samanudaan niyamvali 2004 and under section 414 of IPC. (Copy enclosed as Annexure -3)
6. F.I.R. no. 0086 Dated: 09.04.2024 has been registered against Shri Gholu Singh, s/o- Sbri Harendra Prasad Singh and Shri Vinod Singh, s/o- Shri Trilok Nath Singh at- village Gauri, Kapali, Chandil after enquiring about one of the the illegal sand stock (22°50'12.0"N 86°08'24.0"E) which was found stocked inside the Gauri village under sections 07 and 13 of Jharkhand Minor Minerals Prevention of illegal Mining, Transportation and Storage Rule, 2017, under sections 4 & 54 of Jharkhand laghu Khanij samanudaan niyamvali 2004 and under section 414 of IPC. (Copy enclosed as Annexure -4).


12/04/24


12.04.24


12/4/24


5

Recommendations of the committee:

Demand of sand has increased over the years due to significant infrastructure development in the country and also states (including state of Jharkhand). The legitimate supply of sand has not been enough to cater to this demand growth.

1. District officials, District task force should take strong action against persons engaged in illegal mining, storage and transportation of sand in the said ghat. Such actions in regular interval will act as deterrent and people may fear to engage in such illegal activities.
2. Trench should be cut at appropriate locations to prevent tractors engaged in illegal transportation. Few check posts with CCTVs can be deployed in the area where there are reports of illegal sand mining.
3. Mining Surveillance System (MSS) may be implemented to prevent such illegal mining.
4. Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) / Drones may be used for monitoring of sand ghats in the districts. If illegal mining is being carried out or unsystematic/unscientific mining is being carried out, etc. can be known traced out easily.
5. Recommendations of High-Power committee should be considered while framing the monitoring mechanism by State Government (As given in page no 41, 42, 43, 44 of Enforcement & monitoring guidelines for sand mining issued by MOEF&CC in year 2020).
6. Since demand of Sand is ever increasing and production of sand from river is not able to fulfill the demand, it is essential that states should look for alternative of river Sand such as M-sand (Manufactured sand) and produced from coal overburden. (Described in details, in sand mining framework prepared by Ministry of Mines, Government of India).


Shri Ram Pravesh Kumar,
Regional Officer, JSPCB,
Dhanbad.


Shri Rajeev Ranjan
Scientist-E, RO Ranchi,
MoEF&CC, Govt. of India


Shri Sanjay Kumar Das
Additional Deputy
Commissioner, Saraikela
Kharsawan

ANNEXURE 2

~~Annexure - 1~~N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जांच फार्म -I)**FIRST INFORMATION REPORT**

(Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)1. District (जिला): सराइकेला P.S. (थाना): चाण्डिल Year (वर्ष): 2024
FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0011 Date and Time of FIR (प्र.सू.रि.की दिनांक और समय): 09/01/2024 18:00बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	भा दं सं 1860	414
2	भा दं सं 1860	34
3	झारखंड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004	4
4	झारखंड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004	54
5	खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957	21
6	झारखंड खनिज (अवैध खनन पर रोक, परिवहन और भंडारण) नियम, 2017	9

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1. Day (दिन): मंगलवार Date From (दिनांक से): 09/01/2024 Date To (दिनांक तक): 09/01/2024
Time Period (समय अवधि): पहर 4 Time From (समय से): 11:00 बजे Time To (समय तक): 11:00 बजे

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):

Date (दिनांक): 09/01/2024 Time (समय): 18:00 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):

Entry No. (प्रविष्टि सं.): 002 Date & Time (दिनांक और समय): 09/01/2024 19:14 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): दक्षिण - पूर्व, 26 Beat No. (बीट सं.):
(b) Address (पता): Gourn Balu Ghat Kapali(c) In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर है तो):
Name of P.S. (थाना का नाम): District (State) (ज़िला (राज्य)):

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एफ.आई.ए.आई.ए.फॉर्म -I)

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): Sanny Kumar
(b) Father's Name (पिता का नाम): Pramod kumar anhu
(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1993
(e) UID No. (यूआईडी सं.): 636398663931
(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

(d) Nationality (राष्ट्रियता): भारत
Date of Issue (जारी करने की तिथि):

Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN)
S.No. (क्र.सं.) Id Type (पहचान पत्र का प्रकार) Id Number (पहचान संख्या)

(h) Address (पता):	
1	वर्तमान पता Jlla Khanan Karyalay , सरायकेला, सराइकेला, झारखंड, भारत
2	स्थायी पता Jlla Khanan Karyalay , सरायकेला, सराइकेला, झारखंड, भारत

(i) Occupation (व्यवसाय):

(j) Phone number (दूरभाष सं.): Mobile (मोबाइल सं.):
7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (जात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरा विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या):

S.No. (क्र. सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)
1	Unknown1			

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (संपत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति का प्रकार)	Description (विवरण)	Value (In Rs/-) (मूल्य (₹ में))

10 Total value of property (In Rs/-)-सम्पत्ति का कुल मूल्य (₹ में):

11 Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी. प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.) UIDB Number (यू.डी. प्रकरण सं.)

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

सेवा में ओपीओ प्रभारी कपाली विषय प्राथमिकी दर्ज करने के संबंध में, महाशय उपरोक्त विषय के संबंध में सदरपूर्वक कहना है कि आज दिनांक 09.01.24 को पूर्वाह्न लगभग 11:00 बजे उपायुक्त सरायकेला खरसावां के पत्रांक 07/ गो0 सरायकेला दिनांक 03.01.24 के द्वारा प्राप्त पत्र निर्देश के आलोक में पुलिस केंद्र से प्रतिनियुक्त 04 पुलिस बल के साथ आदित्यपुर स्थित छपरा एवं गौरी बालू घाट का निरीक्षण किया गया निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि कुछ लोग द्वारा ड्रम पर प्लेटफार्म बनकर नदी से बालू उत्खनन कर रहे थे एवं एक ट्रैक्टर सराज 735 ST Model No-735 ST जिसका इंजन नं०- 39.1355/SFG 18110 चेचिस नं०- MBNAN48ADPTH12110 जिस पर बालू लगभग 100 सेपटी लदा हुआ है के द्वारा अवैध बालों निकलते हुए पाया गया पुलिस बल के देखकर अवैध उत्खनन कर रहे व्यक्ति /व्यक्तियों भागने में सफल रहे एवं उक्त ट्रैक्टर के चालक भी पुलिस बल के पिछा करने पर भागने में सफल रहे। थाना प्रभारी कपाली को दूरभाष पर सूचना देने के उपरान्त थाना प्रभारी कपाली महोदय के द्वारा श्री दिनेश कुमार के साथ चार 04 सशस्त्र बल को भेजा गया। उक्त स्थल पर कोई भेद बालू घाट संचालित नहीं है जिसमें स्पष्ट है कि अवैध उत्खनन

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-1 (एफ़ीकृत जांच फार्म -1)

करता एवं अवैध परिवहन कर्ता के द्वारा अवैध रूप से बालू लघु खनिज या उत्खनन परिवहन किया जा रहा है। स्थल पर जो ड्रम एवं अन्य के साथ प्लेटफार्म बनकर अवैध उत्खनन किया जा रहा है जो झारखंड बालू खनिज समानुदायनियमावली 2004 संशोधित के नियम 54 (2) के तहत जासकर धाना प्रभारी कपाली को संपूर्ण किया गया एवं स्थल पर से स प्लेटफार्म को नष्ट कर दिया गया अवैध बालू निकासी करते हुए पाए गए ट्रैक्टर की पुलिस बल की सहायक से कपाली धाना प्रभारी को झारखंड लघु खनिज समानुदाय नियमावली 2004 धारा संशोधन के नियम 54 (2) के तहत जप्त कर कपाली धाना प्रभारी को संपूर्ण किया गया (जमी सूची संलग्न) अवैध खनन परिवहन कर्ता के MMDR एक्ट 1957 की धारा 4 के उल्लंघन किया गया है एवं MMDR एक्ट 1957 की धारा 21 के तहत दंडनीय है साथ ही झारखंड लघु खनिज समानुदाय नियमावली 2004 धारा संशोधन के नियम 04 एवं 54 का उल्लंघन है, The Jharkhand Mineral Prevention Of Illegal Mining transportation and Storage rule 2019 के नियम 09 का भी उल्लंघन है अतः अनुरोध है कि अज्ञात चालकर/ याहन के मालिक एवं अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध उपरोक्त धाराओं नियमों के तहत प्राथमिक की दर्ज करने की कृपा करें। सग्री कुमार जिला- खनन पदाधिकारी सरायकेला-खरसावाँ उम- 31 वर्ष पता जिला खनन कार्यालय, पिता श्री प्रमोद कुमार साहु। 636398663931

13 Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2. (की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद्र. सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है।)

- (1) Registered the case and took up the investigation: (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): or (या)
- (2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): Shantli Minz
Rank (पद): Asst. SI (Assistant Sub-Inspector)
No.(सं.): 2005251 to take up the investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or
- (3) Refused investigation due to (जांच के लिए):
or (के कारण इंकार किया या)
- (4) Transferred to P.S.(धाना): District (ज़िला):
on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).
F.I.R. read over to the complainant / Informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / Informant free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी।)
R.O.A.C.(आर. ओ .ए .सी.)

14 Signature/Thumb Impression of the complainant / Informant.(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

15 Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

CK Shaha
09/01/24
Signature of Officer In charge, Police Station (धाना प्रभारी के हस्ताक्षर)
Name DINESH THAKUR
Rank SI (Sub-Inspector)
No.(सं.): 110183546004

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):
Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण : (यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Blrth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height (cms.) (कद (से.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1						
Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दंत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Hablt(s) (आदतें)	Dress Hablt(s) (पहनावा)	
8	9	10	11	12	13	
Language /Dialect (भाषा/बोली)	Place Of (का स्थान)					* Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (लुकोडर्मा(सफेद धब्बे))	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है।)


अंतर्गत एवम्/पुस्तक शीत १ अन्तर्गत 1952 की धारा 4 का अन्वेषण किया गया है कि MMDR Act 1952 की धारा 4 के अन्तर्गत दस्तावेज हैं साथ ही सुरक्षा लक्ष्य रक्षित सम्पुष्टि नियमों 2004 का अन्वेषण १ नियम 4 एवं 54 का अन्वेषण है, The Shankhand mineral Prevention of illegal mining transportation and storage rules 2017 के नियम 9 का भी अन्वेषण है।

अतः अनुसंधान है कि अन्तर्गत चालक/वहन के गतिविधि एवं अन्य अन्तर्गत व्यक्ति/व्यक्ति १ अन्वेषण द्वारा/नियमों के अन्तर्गत प्राथमिकी के अन्तर्गत है।


09/01/24

संज्ञक प्रमाण
 निम्न एवम् पदो
 ५० एवम्
 उम - 31 वर्ष
 पता - निम्न एवम् कार्यालय
 ५० एवम्
 मोबा - श्री प्रमोद कुमार साहू
 636398663931

forwarded to otc chandil for instituting a case u/s 414/34 IPC & 21 MMDR, 4/54 JMML Rule 2004, & 9 of the Shankhand mineral prevention of illegal mining transportation & storage rule 2017. ASE Shankti Mining will PIR Investigate this case.


09/01/24
OTC
Papali SP

Registered Chandil (Kopali) PS case No. 11/24 dt 09/01/24 U/s-414/34 IPC, 21 MMDR, 4/54 JMML Rule 2004 & 9 of the Shankhand minerals Prevention of illegal mining transportation & storage rule 2017. ASI Shankti Mining will PIR investigate de this case.
 U/s-414/34
09/01/24

01. प्रसंग:- जपती सूची
जिला वनविभाग - सड - अणुपुत्र का कार्यालय संख्या १०००० के पत्राड ०३/१०
दिनांक ०२/०१/२०२५

02. तिथि एवं समय:- ०९.०१.२०२५ वर्षांक ११:५५ बजे

03. स्थान जहाँ जपत किया गया है:- सापड़ा बालू डार

04. गवाह का नाम एवं पता:-

- A. पुंछा नि० दिनेश कुमार पो-बसंत प्रसाद पुता-कपाली क्षेत्री
 में पुंछा नि० के घर पर परसुवापित, थाना-चारिपल नि०-भराप्रवेला-स्वरसाक
- B. राजशिवार नामक पिता स्व० कृष्ण नामक, ग्राम-कुली, पो-पधनगढ़।
 थाना-भराप्रवेला। वर्तमान कृष्ण अर्पण पराडा इ-बी/आर्पण
 के पद पर। जिला वन विभाग बालू डार, सपड़ा बालू-बलरांगा के वीप रू ३।

05. जपत किया गया वस्तु का विवरणी:- ① Tractor - SWARAJ 735 XT, Model 735XT

- ② बसे - ०५
 ③ लोहे का चदर - ०२
 ④ लोहे का ड्रम - ०४
 ⑤ लोहे का ड्रम - ०५

Engine No 39.1355/SF418110

Chassis No - MBNAN48ADPTH12430

Sand - Appx 100 cft loaded

06. गवाहों का हस्ताक्षर जिनके सामने जपत किया गया:-

A. Deesh. Pr.



B. Deesh.



07. अभियुक्त का हस्ताक्षर:-

08. जपत करने वाले प्रमुख पदाधिकारी का नाम/पद एवं हस्ताक्षर:-

09.01.25
 जिला वन विभाग
 संख्या १००००

Photographs of action taken to curb illegal mining





~~Annexure 2~~

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. District (जिला): सराइकेला P.S. (थाना): चान्डीन Year (वर्ष): 2024
FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0084 Date and Time of FIR (प्र.सू.रि.की दिनांक और समय): 09/04/2024 19:40 बजे

2. S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	भा द स 1860	414
2	झारखंड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004	4
3	झारखंड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004	54
4	झारखंड खनिज (अवैध खनन पर रोक, परिवहन और भंडारण) नियम, 2017	7
5	झारखंड खनिज (अवैध खनन पर रोक, परिवहन और भंडारण) नियम, 2017	13

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1. Day (दिनांक): मंगलवार Date From (दिनांक से): 09/04/2024 Date To (दिनांक तक): 09/04/2024
Time Period (समय अवधि): पहर 4 Time From (समय से): 10:30 बजे Time To (समय तक): 10:30 बजे

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):

Date (दिनांक): 09/04/2024 Time (समय): 19:40 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):

Entry No. (प्रविष्टि सं.): 003 Date & Time (दिनांक और समय): 09/04/2024 23:23 बजे

4. Type of information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): दक्षिण - पूर्व, 24 Beat No. (बीट सं.):
(b) Address (पता): Gouri Kapali

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर है तो):
Name of P.S. (थाना का नाम): District (State) (ज़िला (राज्य)):

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): Amit kumar Shriwastav

(b) Father's/Husband's Name(पिता / पति का नाम):

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1982

(d) Nationality (राष्ट्रीयता): भारत

(e) UID No. (यूआईडी सं.): 751383454459

(f) Passport No.(पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की तिथि):

Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN)

S.No.(क्र.सं.) Id Type (पहचान पत्र का प्रकार)

Id Number (पहचान संख्या)

(h) Address (पता):

S.No.	वर्तमान पता	स्थायी पता
1	वर्तमान पता	स्थायी पता
2	वर्तमान पता	स्थायी पता

(i) Occupation (व्यवसाय):

(j) Phone number (दूरभाष सं.):

Mobile (मोबाइल सं.): 91-9471728344

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (जात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या):

S.No.(क्र. सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)
1	Unknown1			

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (संपत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति का प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))
-----------------	------------------------------------	------------------------------------	---------------------	---------------------------------

10 Total value of property (In Rs/-)-सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में):

11 Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.) UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.):

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

सेवा में, श्रीमान ओपी प्रभारी, कपाली ओपी। विषय:- प्राथमिकी दर्ज करने के संबंध में। महाशय, उपर्युक्त विषय के संबंध में सादर पूर्वक कहना है कि आज दिनांक-09.04.24 को पूवाहनु लगभग 10:30 बजे उपायुक्त, सरायकेला-खरसावाँ के आदेश जापाक 325/विधि, दिनांक - 02.04.2024 के आलोक में O.A. No 19/2024/EZ (Earliar O.A. 727/2023/PB) in: News Item appearing in Hindustan dated 25.11.2023 में The National Green Tribunal Eastern zone Bench kolkata द्वारा पारित आदेश के आलोक में एक तीन सदस्य टीम जिसमें MoEF CC के द्वारा प्राधिकृत वैज्ञानिक, झारखण्ड राज्य प्रदूषण पार्यट के प्राधिकृत पदाधिकारी तथा अपर उपायुक्त, सरायकेला-खरसावाँ शामिल है। जिला गठित टीम के द्वारा गौरी बालू घाट का निरीक्षण किया गया, जिसमें खनन पदाधिकारी, सरायकेला-खरसावाँ, अनुमण्डल पदाधिकारी, चाण्डिल, अनुमण्डल पुलिस, - पदाधिकारी चाण्डिल, ओपी प्रभारी, कपाली ओपी एवं अधोहस्ताक्षरी भी शामिल थे। गौरी बालू घाट के नदी तट पर Latitude-225012 N, Longitude-8684 E में विभिन्न जगहों पर लगभग 10,000 Cmt बालू का अवैध भंडारण पाया गया। भण्डारित बालू को ज्वट कर

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण : (यदि जात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height (cms.) (कद (से.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1						
Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)	
8	9	10	11	12	13	
Language /Dialect (भाषा/वोली)	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (लुकोटेर्मा(सफेद धब्बे))	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	Others (अन्य)
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है।)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

सर्वसहमति से ओपी प्रभारी, कपानी ओपी को सुपूर्द कर दिया गया (जबकी सूची सलम)। JIMMS Portal के अनुसार - एक स्थल पर बिनी सरथान / व्यक्ति के पक्ष में बालू भण्डारण अनुज्ञप्ति की स्वीकृति प्रदान नहीं - किया गया है। पुछताछ के अंत में गार्मियों के द्वारा बताया गया कि गामवाशिंगो द्वारा अपने पालन पोषण के लिए पानी से हुबहुब कर वेलचा के माध्यम से बालू निकाल कर डाम से बनाए गये डोगा से किनारे लाकर बालू का वेचा जाता है। स्थल पर चार नाव भी मिला जिससे Destroy (विनिष्ट) - कर दिया गया। जिस रास्ते में बालू का ढुलाई होता है। वहाँ दो रास्तों में Trench बना दिया गया है। भंडारण बालू के सव्ध में स्थानीय लोगों से पुछताछ करने पर बताया गया कि अवैध बालू का भंडारण किसके द्वारा किया गया है पता नहीं है। झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 - (यथा सशोधित) के नियम 4 एवं 54 तथा The Jharkhand Mineral Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage Rule, 2017 के नियम 7 एवं 13 का उल्लंघन है। अतः झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 (यथा सशोधित) के नियम 4 - एवं 54 तथा The Jharkhand Mineral Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage Rule, 2017 के नियम 7 एवं 13 तथा अन्य सुसंगत धाराओं / नियमों के तहत अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने की कृपा की जाय।

13 Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2. (की गयी कार्यवाही : चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका भट. स. 2 में उल्लेख धारा के तहत है।)

or (या)

(1) Registered the case and took up the investigation:
(प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया):

(2) Directed (Name of I.O.): (जांच अधिकारी का नाम): Hiralal Mundu
Rank (पद): SI (Sub-Inspector)

No. (सं.): RNCPOL to take up the investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए):
or (के कारण इकार किया या)


(4) Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):
on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी।)

R.O.A.C. (आर. ओ. ए. सी.)

14 Signature/Thumb impression of the complainant / informant: (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

15 Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):



Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)
Name Varun Yadav
Rank SI (Sub-Inspector)
No. (सं.): 110144413532

Forwarded to G.C. Chaudhary P.S. for investigation a case u/s 414 1-Pecl 4/59 J.M.M.C. and 713 Jharkhand Mineral Prevention of Illegal Mining Transportation & Storage Rule-2012 SI. Hirralal munda will file investigate this case.

09/04/24
G.C. Chaudhary
P.S.

सेवा में,

श्रीमान ओ०पी० प्रभारी,
कपाली ओ०पी०।

विषय:- प्राथमिकी दर्ज करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सादर पूर्वक कहना है कि आज दिनांक-09.04.24 को पूर्वाह्न तमगम्भ 10.30 बजे उपायुक्त, सरायकेला-खरसावों के आदेश ज्ञापाक 325/विधि, दिनांक - 02.04.2024 के आलोक में O.A. No - 19-2024/EZ (Earhar O.A. 727/2023/PB) in : News Item appearing in Hindustan dated 25.11.2023 में The National Green Tribunal Eastern zone Bench Kolkata द्वारा पारित आदेश के आलोक में एक तीन सदस्य टीम जिसमें MoEF & CC के द्वारा प्राधिकृत वैज्ञानिक, झारखण्ड राज्य प्रदूषण पार्षद के प्राधिकृत पदाधिकारी तथा अपर उपायुक्त, सरायकेला-खरसावों शामिल है। गठित टीम के द्वारा गौरी बालू घाट का निरीक्षण किया गया, जिसमें जिला खनन पदाधिकारी, सरायकेला-खरसावों, अनुमण्डल पदाधिकारी, चाण्डिल अनुमण्डल पुलिस, गदाधिकारी चाण्डिल, ओ०पी० प्रभारी, कपाली ओ०पी० एवं अद्योहस्ताक्षरी भी शामिल थे। गौरी बालू घाट के नदी तट पर Latitude-22°50'12" N, Longitude-86°8'4" E में विभिन्न जगहों पर लगभग 10,000 टन बालू का अवैध भंडारण पाया गया। भण्डारित बालू को जल कर स्वसहमति से ओ०पी० प्रभारी, कपाली ओ०पी० को सुपूर्द कर दिया गया (जकी सूची संलग्न)। JIMMS Portal के अनुसार उक्त स्थल पर किसी संस्थान / व्यक्ति के पक्ष में बालू भण्डारण अनुज्ञप्ति की स्वीकृति प्रदान नहीं किया गया है। पुछताछ के क्रम में ग्रामीणों के द्वारा बताया गया कि रामगसियां द्वारा अपने फालन पोषण के लिए पानी से डुबडुब कर पेलचा के माध्यम से बालू निकाल कर ट्राम से बनाए गये डोम से किनारे लाकर बालू का बेचा जाता है। स्थल पर चार नाव भी मिला जिससे Desurey (विनिमय) कर दिया गया। जिस रास्ते में बालू का दुलाई होता है। वहाँ दो रास्तों में Trench बना दिया गया है। भंडारण बालू के संबंध में स्थानीय लोगों से पुछताछ करने पर बताया गया कि अवैध बालू का भंडारण किसके द्वारा किया गया है पता नहीं है। झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 (यथा संशोधित) के नियम 4 एवं 54 तथा The Jharkhand Mineral Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage Rule, 2017 के नियम 7 एवं 13 का उल्लंघन है।

अतः झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 (यथा संशोधित) के नियम 4 एवं 54 तथा The Jharkhand Mineral Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage Rule, 2017 के नियम 7 एवं 13 तथा अन्य सुसंगत धाराओं / नियमों के तहत अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने की कृपा की जाय।

27/04/24
Registered chandil (kapan) P.S. Case no - 24124 dt- 04.04.24 u/s- 414 IPC and 4154 J.M.M.C. Rules 2004 and 713 Jharkhand minerals (Prevention of illegal mining-Transportation and storage) Rule - 2017 SI Hirralal munda will file investigate this case.

(अभि-कुमार 09/04/24), 4-15-
अचल अधिकारी,
चाण्डिल।
पता - अचल कार्यालय, चाण्डिल।
आधार नम्बर - 7513 8345 4453
Phone No. 9471728344

09/04/24
G.C. Chaudhary
P.S.

Annexure 3

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जांच फार्म -I)

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 टंड प्रक्रिया सहिता के तहत)

1. District (जिला): सराइकेला P.S. (थाना): चान्डिल Year (वर्ष): 2024
FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0085 Date and Time of FIR (प्र.सू.रि.की दिनांक और समय): 09/04/2024 19:45बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	भा ट स 1860	414
2	झारखंड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004	4
3	झारखंड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004	54
4	झारखंड खनिज (अवैध खनन पर रोक, परिवहन और भंडारण) नियम, 2017	7
5	झारखंड खनिज (अवैध खनन पर रोक, परिवहन और भंडारण) नियम, 2017	13

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1. Day (दिन): मंगलवार Date From (दिनांक से): 09/04/2024 Date To (दिनांक तक): 09/04/2024
Time Period (समय अन्तर्धि): पहर 4 Time From (समय से): 10:30 बजे Time To (समय तक): 11:57 बजे

(b) Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):

Date (दिनांक): 09/04/2024 Time (समय): 19:45 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):

Entry No. (प्रविष्टि सं.): 004 Date & Time (दिनांक और समय): 09/04/2024 23:28 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): दक्षिण - पूर्व, 24 Beat No. (बीट सं.):

(b) Address (पता): Gouri Kapali

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर है तो):

Name of P.S. (थाना का नाम):

District(State) (जिला (राज्य)):

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता):

- (a) Name (नाम): Amit Kumar Shrivastav
(b) Father's/Husband's Name (पिता / पति का नाम):
(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1982 (d) Nationality (राष्ट्रीयता): भारत
(e) UID No. (यूआईडी सं.): 751383454459
(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.): Date of Issue (जारी करने की तिथि):

Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN)

S.No. (क्र.सं.) Id Type (पहचान पत्र का प्रकार) Id Number (पहचान संख्या)

(h) Address (पता):

S.No.	वर्तमान पता	Chandil C O , चान्डिल, सराइकेला, झारखंड, भारत
1	वर्तमान पता	Chandil C O , चान्डिल, सराइकेला, झारखंड, भारत
2	स्थायी पता	Chandil C O , चान्डिल, सराइकेला, झारखंड, भारत

(i) Occupation (व्यवसाय):

(j) Phone number (दूरभाष सं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9471728344

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (जात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

Accused: More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या):

S.No. (क्र. सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)
1	Bablu Singh		पिता का नाम : Hazari Prasad singh	1. Gouri kapali, चान्डिल, सराइकेला, झारखंड, भारत

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (संपत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति का प्रकार)	Description (विवरण)	Value (In Rs/-) (मूल्य (रु में))
-----------------	------------------------------------	------------------------------------	---------------------	----------------------------------

10 Total value of property (In Rs/-)-सम्पत्ति का कुल मूल्य (रु में):

11 Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी. प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.) UIDB Number (यू.डी. प्रकरण सं.)

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

मेवा में, श्रीमान ओपी प्रभारी, कपाली ओपी। विषय- प्राथमिकी दर्ज करने के संबंध में महाशयउपर्युक्त विषय के संबंध में साटर पूर्वक कहना है कि आज दिनांक-09.04.24 को पूवाहन् लगभग 10:30 बजे उपायुक्त, सरायकेला-खरसावाँ के आदेश जापक 325/विधि, दिनांक 02.04.2024 के आलोक में O.A. No - 19/2024/EZ (Earlier O.A. 727/2023/PB) in News Item appearing in Hindustan dated 25.11.2023 में The National Green Tribunal Eastern zone Bench kolkata द्वारा पारित आदेश के आलोक में एक तीन सदस्य टीम जिसमें MoEF CC के द्वारा प्रधिकृत वैज्ञानिक, झारखण्ड राज्य प्रदूषण पार्यट के प्राधिकृत पदाधिकारी तथा अपर उपायुक्त, सरायकेला-खरसावाँ शामिल है। गठित टीम के द्वारा गौरी बालू घाट का निरीक्षण किया गया, जिसमें जिला खनन पदाधिकारी, सरायकेला-खरसावाँ, अनुमण्डल पदाधिकारी, चाण्डिल, अनुमण्डल पुलिस, पदाधिकारी चाण्डिल, ओपी प्रभारी, कपाली ओपी एवं अथाहस्ताक्षरी भी शामिल थे। मौजा गौरी, Latitude-225012 N, Longitude-86824 E में विभिन्न जगहों

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फॉर्म -I)

पर लगभग 5600 Cft बालू का अवैध भंडारण पाया गया। भण्डारित बालू को ज्वत कर सर्वसहमति से ओपी प्रभारी, कपाली ओपी को सुपूर्द कर दिया गया (जब्त सूची संलग्न)। JIMMS Portal के अनुसार उक्त स्थल पर किसी संस्थान / व्यक्ति के पक्ष में बालू भण्डारण अनुज्ञप्ति की स्वीकृति प्रदान नहीं किया गया है। पुछताछ के क्रम में पता चला कि श्री बबलू सिंह, पिता हजारी प्रसाद सिंह, ग्राम - गौरी, के द्वारा उक्त क्षेत्र पर बालू का अवैध भण्डारण किया गया है। झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 (यथा संशोधित) के नियम 4 एवं 54 तथा The Jharkhand Mineral Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage Rule, 2017 के नियम 7 एवं 13 का उल्लंघन है। -अतः झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 (यथा संशोधित) के नियम 4 एवं 54 तथा The Jharkhand Mineral Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage Rule, 2017 के नियम 7 एवं 13 तथा अन्य सुसंगत धाराओं / नियमों के तहत श्री बबलू सिंह, पिता हजारी प्रसाद सिंह, ग्राम गौरी, के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने की कृपा की जाय।

13 Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2. (की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका भद्र सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है।) or (या)

- (1) **Registered the case and took up the investigation:**
(पकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया):
- (2) **Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम):** Hiralal Mundu
Rank (पद): SI (Sub-Inspector)
No. (सं.): RNCPOL to take up the investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or
- (3) **Refused investigation due to (जांच के लिए):**
or (के कारण इंकार किया या)
- (4) **Transferred to P.S. (थाना):** District (ज़िला):
on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी।)
R.O.A.C. (आर. ओ. ए. सी.)

14 Signature/Thumb impression of the complainant / informant. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

15 Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की तिनांक और समय):



Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)
Name Varun Yadav
Rank SI (Sub-Inspector)
No. (सं.): 110144413532

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):
Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण : (यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height (cms.) (कद (से.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	पुरुष					
Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)	
8	9	10	11	12	13	
Language /Dialect (भाषा/बोली)	Place Of (का स्थान)				Others (अन्य)	
Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (लुकोटेर्मा(सफ़ेद धब्बे))	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)		
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है।)

श्रीमान ओ०पी० प्रभारी,
कपाली ओ०पी०।

विषय:- प्राथमिकी दर्ज करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सादर पूर्वक कहना है कि आज दिनांक-09.04.24 को पूवाहन् लगभग 10:30 बजे उपायुक्त, सरायकेला-खरसावाँ के आदेश ज्ञानांक 325/विधि, दिनांक - 02.04.2024 के आलोक में O.A. No - 19/2024/EZ (Earliar O.A. 727/2023/PB) in : News Item appearing in Hindustan dated 25.11.2023 में The National Green Tribunal Eastern zone Bench kolkata द्वारा पारित आदेश के आलोक में एक तीन सदस्य टीम जिसमें MoEF & CC के द्वारा प्राधिकृत वैज्ञानिक, झारखण्ड राज्य प्रदूषण पार्षद के प्राधिकृत पदाधिकारी तथा अपर उपायुक्त, सरायकेला-खरसावाँ शामिल है। गठित टीम के द्वारा गौरी बालू घाट का निरीक्षण किया गया, जिसमें जितना खनिज पदाधिकारी, सरायकेला-खरसावाँ, अनुमण्डल पदाधिकारी, चाण्डिल, अनुमण्डल पुलिस, पदाधिकारी चाण्डिल, ओ०पी० प्रभारी, कपाली ओ०पी० एवं अद्योहस्ताक्षरी भी शामिल थे। मौज़ा - गौरी: Latitude-22°50'12" N, Longitude-86°8'24" E में विभिन्न जगहों पर लगभग 5600 Cft बालू का अवैध भण्डारण पाया गया। भण्डारित बालू को जब्त कर सर्वसहमति से ओ०पी० प्रभारी, कपाली ओ०पी० को सुपूर्द कर दिया गया (जब्त सूची संलग्न)। JIMMS Portal के अनुसार उक्त स्थल पर किसी संस्थान / व्यक्ति के पक्ष में बालू भण्डारण अनुज्ञप्ति की स्वीकृति प्रदान नहीं किया गया है। पुछताछ के क्रम में पता चला कि श्री बब्लू सिंह, पिता हजारी प्रसाद सिंह, ग्राम - गौरी, के द्वारा उक्त क्षेत्र पर बालू का अवैध भण्डारण किया गया है। झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 (यथा संशोधित) के नियम 4 एवं 54 तथा The Jharkhand Mineral Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage Rule, 2017 के नियम 7 एवं 13 का उल्लंघन है।

अतः झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 (यथा संशोधित) के नियम 4 एवं 54 तथा The Jharkhand Mineral Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage Rule, 2017 के नियम 7 एवं 13 तथा अन्य सुसंगत धाराओं / नियमों के तहत श्री बब्लू सिंह, पिता हजारी प्रसाद सिंह, ग्राम - गौरी, के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने की कृपा की जाय।

अतः कृपया

(अभि) उमा ^{09.04.24}
अंचल अधिकारी,
चाण्डिल।

पता - अंचल कार्यालय, चाण्डिल।

आधार नम्बर -

Registered chandil (Kopali) P.S. Caseno - 8524 dt-9.4.24
U/s- 414 IPC and 4154 J.M.M.C Rule 2004 and Amendment
and 713 Jharkhand minerals (Prevention of illegal mining,
Transportation and Storage) Rule 2017 SI lunalal mundal
with Pls investigate this case.

[Signature]
19/04/2024
etc chandil P.S.

Order to Ge Chandil P.S. for investigating a case u/s 414, P.C. & 4154 J.M.M.C Rule 2004 & Amendment
 Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation & Storage) Rule 2017. Si. Hiralal Mundal
 Investigate this case.
 09.04.24
 P.S. Chandil
 0-0311111111

Annexure -4

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(धारा 154 टैंड प्रक्रिया सहिता के तहत)

1. District (जिला): सराइकेला P.S. (थाना): चाण्डिल Year (वर्ष): 2024
FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0086 Date and Time of FIR (प्र.सू.रि.की दिनांक और समय): 09/04/2024 19:50बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	भा टं सं 1860	414
2	भा टं सं 1860	34
3	झारखंड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004	4
4	झारखंड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004	54
5	झारखंड खनिज (अवैध खनन पर रोक, परिवहन और भंडारण) नियम, 2017	7
6	झारखंड खनिज (अवैध खनन पर रोक, परिवहन और भंडारण) नियम, 2017	13

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1. Day (दिन): मंगलवार Date From (दिनांक से): 09/04/2024 Date To (दिनांक तक): 09/04/2024
Time Period (समय अवधि): पहर 4 Time From (समय से): 10:30 बजे Time To (समय तक): 11:50 बजे

(b) Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):

Date (दिनांक): 09/04/2024 Time (समय): 19:50 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):

Entry No. (प्रविष्टि सं.): 005 Date & Time (दिनांक और समय): 09/04/2024 23:32 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): दक्षिण - पूर्व, 24 Beat No. (बीट सं.):

(b) Address (पता): Guori Kapali

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर है तो):

Name of P.S. (थाना का नाम):

District (State) (ज़िला (राज्य)):

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता):

- (a) Name (नाम): Amil Kumar Shrivastav
 (b) Father's/Husband's Name (पिता / पति का नाम)
 (c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1982
 (d) Nationality (राष्ट्रीयता): भारत
 (e) UID No. (यूआईडी सं.): 751383454459
 (f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):
 Date of Issue (जारी करने की तिथि):
 Place of Issue (जारी करने का स्थान):
 (g) Id details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN)
 S.No. (क्र.सं.) Id Type (पहचान पत्र का प्रकार) Id Number (पहचान संख्या)
 (h) Address (पता):

1	वर्तमान पता	C O Chandil, चान्डिल, सराइकेला, झारखंड, भारत
2	स्थायी पता	C O Chandil, चान्डिल, सराइकेला, झारखंड, भारत

(i) Occupation (व्यवसाय):

(j) Phone number (दूरभाष सं.):

Mobile (मोबाइल सं.): 91-9471728344

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (जात / संदिग्ध / अजात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than (अजात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या):

S.No. (क्र. सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)
1	Vinod Singh		पिता का नाम: Triloknath singh	1. Gouri Kapali, चान्डिल, सराइकेला, झारखंड, भारत
2	Golu Singh		पिता का नाम: Harendra Prasad Singh	1. Gouri Kapali, चान्डिल, सराइकेला, झारखंड, भारत

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (संपत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति का प्रकार)	Description (विवरण)	Value (In Rs/-) (मूल्य (रु में))
-----------------	------------------------------------	------------------------------------	---------------------	----------------------------------

10 Total value of property (In Rs/-)-सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में):

11 Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.) UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

सेवा में श्रीमान ओपी प्रभारी, कपाली ओपी। विषय - प्राथमिकी दर्ज करने के संबंध में। महाराज, उपर्युक्त विषय के संबंध में सादर पूर्वक कहना है कि आज दिनांक-09.04.24 को वाहन लगभग 10:30 बजे उपायुक्त, सरायकेला-खरसावाँ के आदेश जम्पाक 325/ विधि. टिनाक - 2.04.2024 के आलोक में O.A. No 19/2024/EZ (Earlier O.A. 727/2023/PB) in. News Item appearing in Hindustan dated 25.11.2023 में The National Green Tribunal Eastern zone Bench Kolkata द्वारा पारित आदेश के आलोक में एक तीन सदस्य टीम जिसमें MoEF CC के द्वारा नाधिकृत वैज्ञानिक, झारखण्ड राज्य प्रदूषण पार्यट के प्राधिकृत पदाधिकारी तथा अपर उपायुक्त, सरायकेला-खरसावाँ शामिल है। गटिन टीम के द्वारा गौरी बालू घाट का निरीक्षण किया गया, जिसमें जिला खनन पदाधिकारी,

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

सरायकेला-खरसर्वा, अनुमण्डल पदाधिकारी, चाण्डिल, अनुमण्डल पुलिस, पदाधिकारी चाण्डिल, ओपी प्रभारी, कपाली ओपी एवं अशोहस्ताक्षरी भी शामिल थे। मौजा - गौरी में Latitude-225012 N, Longitude-86819 E में लगभग 3300 C.M. बालू का अवैध भण्डारण पाया गया। भण्डारित बालू को जला कर सर्वसहमति से ओपी प्रभारी, कपाली ओपी को सुपुर्द कर दिया गया (जब्तगी सूची संलग्न)। JIMMS Portal के अनुसार उक्त स्थल पर किमी सरथान / व्यक्ति के पक्ष में बालू भण्डारण अनुज्ञप्ति की स्वीकृति प्रदान नहीं किया गया है। पुस्तिका के वन में पता चला कि श्री धोलु सिंह, पिता हेन्दू प्रसार सिंह, ग्राम गौरी, एच श्री विनोद सिंह, पिता श्री त्रिलोक नाथ सिंह, ग्राम गौरी के द्वारा उक्त क्षेत्र पर बालू का अवैध भण्डारण किया गया है। झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 (यथा संशोधित) के नियम 4 एवं 54 तथा The Jharkhand Mineral Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage Rule, 2017 के नियम 7 एवं 13 का उल्लंघन है। अतः झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 (यथा संशोधित) के नियम 4 एवं 54 तथा The Jharkhand Mineral Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage Rule, 2017 के नियम 7 एवं 13 तथा अन्य सुसंगत धाराओं / नियमों के तहत श्री धोलु सिंह, पिता हेन्दू प्रसार सिंह, ग्राम गौरी, एच श्री विनोद सिंह, पिता श्री त्रिलोक नाथ सिंह, ग्राम - गौरी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने की कृपा की जाय।

13 Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.(की गयी कार्यवाही : चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद स. 2 में उल्लेख धारा के तहत है।)

or (या)

(1) Registered the case and took up the investigation:
(प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):

(2) Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम): Hiralal Mundu
Rank (पद):SI (Sub-Inspector)
No.(सं.):RNCPOL to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or

(3) Refused investigation due to (जाँच के लिए):
or (के कारण इकार किया या)

(4) Transferred to P.S.(थाना): District (ज़िला):
on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी।)

R.O.A.C.(आर. ओ .ए .सी.)

14 Signature/Thumb Impression of the complainant / informant.(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

15 Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की तिनाक और समय):



Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name Varun Yadav

Rank SI (Sub-Inspector)

No.(सं.):110144413532

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के घट 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण : (यदि जात / देखा गया))

S.No.(क्र.स.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height (cms.) (कद (से.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	पुरुष					
2	पुरुष					
Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)	
8	9	10	11	12	13	
Language /Dialect (भाषा/बोली)	Place Of (का स्थान)					Others (अन्य)
Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (लुकोदेर्मा(सफेद धब्बे))	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)		
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/Informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है।)

सेवा में,

श्रीमान ओ०पी० प्रभारी,
कपाली ओ०पी०।

विषय:-

प्राथमिकी दर्ज करने के संबंध में।

महाशय,

Forwarded to Chandil P.S. for investigation of illegal mining, transportation and storage of minerals in this case.

Mr. 6949-24
Chandil
Keonjhar

Forwarded to Chandil P.S. for investigation of illegal mining, transportation and storage of minerals in this case.

उपर्युक्त विषय के संबंध में सादर पूर्वक कहना है कि आज दिनांक-09.04.24 को पूवाहन् लगभग 10:30 बजे उपायुक्त, सरायकेला-खरसावाँ के आदेश ज्ञापांक 325/विधि, दिनांक - 02.04.2024 के आलोक में O.A. No - 19/2024/EZ (Earliar O.A. 727/2023/PB) in : News Item appearing in Hindustan dated 25.11.2023 में The National Green Tribunal Eastern zone Bench Kolkata द्वारा पारित आदेश के आलोक में एक तीन सदस्य टीम जिसमें MoEF & CC के द्वारा प्राधिकृत बैज्ञानिक, झारखण्ड राज्य प्रदूषण पार्षद के प्राधिकृत पदाधिकारी तथा अपर उपायुक्त, सरायकेला-खरसावाँ शामिल है। गठित टीम के द्वारा गौरी बालू घाट का निरीक्षण किया गया, जिसमें जिला खनन पदाधिकारी, सरायकेला-खरसावाँ, अनुमण्डल पदाधिकारी, चाण्डिल, अनुमण्डल पुलिस, पदाधिकारी चाण्डिल, ओ०पी० प्रभारी, कपाली ओ०पी० एवं अचोहस्ताक्षरी भी शामिल थे। मोजा - गौरी में Latitude-22°50'12" N, Longitude-86°8'19" E में लगभग 3300 Cft बालू का अवैध भण्डारण पाया गया। भण्डारित बालू को जब्त कर सर्वसहमति से ओ०पी० प्रभारी, कपाली ओ०पी० को सुपूर्द कर दिया गया (जब्त सूची संलग्न)। JIMMS Portal के अनुसार उक्त स्थल पर किसी संस्थान / व्यक्ति के पक्ष में बालू भण्डारण अनुज्ञापित की स्वीकृति प्रदान नहीं किया गया है। पुछताछ के क्रम में पता चला कि श्री गोलु सिंह, पिता हरेन्द्र प्रसार सिंह, ग्राम - गौरी, एवं श्री विनोद सिंह, पिता श्री त्रिलोक नाथ सिंह, ग्राम - गौरी के द्वारा उक्त क्षेत्र पर बालू का अवैध भण्डारण किया गया है। झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 (यथा संशोधित) के नियम 4 एवं 54 तथा The Jharkhand Mineral Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage Rule, 2017 के नियम 7 एवं 13 का उल्लंघन है।

अतः झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 (यथा संशोधित) के नियम 4 एवं 54 तथा The Jharkhand Mineral Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage Rule, 2017 के नियम 7 एवं 13 तथा अन्य सुसंगत धाराओं / नियमों के तहत श्री गोलु सिंह पिता हरेन्द्र प्रसार सिंह, ग्राम - गौरी, एवं श्री विनोद सिंह, पिता श्री त्रिलोक नाथ सिंह, ग्राम - गौरी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने की कृपा की जाय।

343: 44092

(अभि: 6949-24/3111/54 JMMC Rule-2004 and Amendment and this Jharkhand minerals (Prevention of illegal mining Transportation and Storage) Rule-2017 ss. 7 and 13 under will be investigate this case.)
अचल अधिकारी,
चाण्डिल।
पता - अंचल कार्यालय, चाण्डिल।
आधार नम्बर -

Registered chandil (Kapali) P.S. Case no - 36124 dated 9.4.24
U/s - 414/341PC and 4154 JMMC Rule 2004 and Amendment and
this Jharkhand minerals (Prevention of illegal mining Transportation
and Storage) Rule 2017 ss. 7 and 13 under will be investigate
this case.

Signature
of Chandil
P.S.

Annexure V

Photos taken during site inspection on 09.04.2024 in OA no 19/2024/EZ



Photos 1 & 2: Photo of tractor wheel footprints visible on banks of Swarnrekha river on both sides of Gauri Sapra bridge.



Photo 3: Photo of tractor wheel footprints on banks of Swarnrekha river on other side of Gauri Sapra bridge

Photo 4: Photo of negligible sand inside the river and only few sand spots could be seen here and there.




Photo 5: Photo of rafts made using plastic drum and tin sheets on the river near Gauri Ghat.



Photo 6: Photo of kutchha road from the Gauri and Sapra bridge towards the river bank.



Photo7:Photo of no sand deposition at the pilars of Gauri Sapra bridge.




Photo 8: Photo of sand extracted over rafts made using plastic drum and tin sheets on the river.



Photo9:Photo of small excavations making small islands in the river.Heap of sand can be seen.



Photo10:Photo of pebbles, stones collected in few sacks at Swarnrekha river bank.



Photo 11&12: Photos of excavations and sand heaps /accumulations on the banks of river



Photo 13: Photo of heaps of sand at bank of river near Gauri Ghat.



Photo 14: Photo of road approaching the Gauri Ghat on Swarnrekha river bank.



Photo 15: Photo of large stocks of sand adjacent to river Swarnrekha at the Gauri Ghat.



Photo16:Photo of interaction of committee members with some local people.



Photo17:Photo of sieve on the river bank utilized for separation of coarse sand from fine sand.



Photo18:Photo of approach road to Gauri Ghat on Swarnrekha river side.



Photos 19& 20: Photos of large stocks of sand adjacent to river Swarnrekha at the Gauri Ghat.



Photo21: Photo of excavations in river Swarnrekha. Photo22:Photo of sand over rafts made using plastic drum and tin sheets on the river at the banks



Photo 23: Photo of sand over rafts made using plastic drum and tin sheets on river at the banks.

Photo24: Photo of excavations and sand heaps on the banks of river Swarnrekha.



Photos 25& 26: Photos of large stocks of sand in Gauri village. Measurement of sand stocks done by the district officials accompanying NGT committee members.



Photo 27 & 28: Photos of large stocks of sand in Gauri village. Measurement of sand stocks done by the district officials accompanying NGT committee members.




Photo 29: Photo of geocoordinates of some points taken during site inspection on 09.04.2024 superimposed on google earth image of date 23.05.2023.




Photo 30: Photo of geocoordinates of some points taken during site inspection on 09.04.2024 superimposed on google earth image of date 14.11.2022.




Photo 31: Photo of geocoordinates of some points taken during site inspection on 09.04.2024 superimposed on google earth image of date 15.05.2023. Sand stocks/heaps on river bank can be seen clearly in this image photo.



Photo 32: Photo of geocoordinates of some points taken during site inspection on 09.04.2024 superimposed on google earth image of date 15.05.2023. Gauri Sapra bridge over river Swarnrekha can be seen in this image photo.

झारखंड सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

रौंची, दिनांक -

संकल्प सं०/एम०

संकल्प

झारखंड राज्य में अवैध खनन पर रोकथाम की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए संकल्प सं० 563/एम० सी० दिनांक 05.10.2005 द्वारा जिला स्तर पर अवैध खनन के गतिविधियों की नियमित समीक्षा, अनुश्रवण एवं नियंत्रण हेतु राज्य सरकार द्वारा गठित टास्क फोर्स/उड़न दस्ता के कार्यक्षेत्र में विस्तार करते हुए खनिज अन्वेषण के क्रम में ग्रामिणों एवं असांगोजिक तत्वों के द्वारा उत्पन्न किये जाने वाले व्यवधान के निराकरण को भी सम्मिलित किया जाता है।

2 खनिज अन्वेषण में उत्पन्न किये जाने वाले व्यवधानों को टास्क फोर्स के समक्ष रखने हेतु संकल्प सं० 563/एम० सी० दिनांक 05.10.2005 के कंडिका - 2 जिससे जिला स्तर पर टास्क फोर्स गठित किया गया है में प्रमंडलीय स्तर के उप निदेशक, भूतत्व एवं जिला स्तर के सहायक निदेशक, भूतत्व को सदस्य के रूप में रखा जाता है। अब जिला स्तर के टास्क फोर्स के सदस्य निम्न प्रकार होंगे :-

जिला स्तर पर टास्क फोर्स

- | | | | |
|---|-------------------------------------------------------|---|------------|
| 1 | उपायुक्त | - | अध्यक्ष |
| 2 | आरक्षी अधीक्षक | - | सदस्य |
| 3 | अपर समाहर्ता, राजस्व | - | सदस्य |
| 4 | जिला खनन पदाधिकारी | - | सदस्य सचिव |
| 5 | उप निदेशक, भूतत्व | - | सदस्य |
| 6 | सहायक निदेशक, भूतत्व | - | सदस्य |
| 7 | वन प्रमंडल पदाधिकारी | - | सदस्य |
| 8 | जिला स्तर पर राज्य नियंत्रण प्रदूषण पंदा के पदाधिकारी | - | सदस्य |
| | जिला परिवहन पदाधिकारी | - | सदस्य |

एतदसंबंधी पूर्व में निर्धारित शर्त एवं कर्तव्य यथापत रहेंगे।

यह आदेश सद्य प्रभाव से लागु होगा।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(सतेन्द्र सिंह)

सरकार के सचिव

रौंची, दिनांक -

ज्ञापक :-

/एम०

प्रतिनिधि - सचिव परिवहन विभाग/वन एवं पर्यावरण विभाग/आरक्षी महानिदेशक/राज्य नियंत्रक, आई०बी०एम०/राज्य प्रदूषण नियंत्रण पंदा, रौंची को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के सचिव

12

⑧

ज्ञापांक :- 1188 / एम०

राँची दिनांक - 31.8.13

प्रतिलिपि:- सभी रूपायुक्त/आरक्षी अधीक्षक/वन प्रमंडल पदाधिकारी, झारखंड का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव





JHARKHAND STATE POLLUTION CONTROL BOARD

TOWNSHIP ADMINISTRATION BUILDING, HEC COMPLEX, DHURWA, RANCHI 834004

Telephone: 0651-2400850 (Fax)/ 2400851/2400852/2401847/2400979/2400139

By Email

Hon'ble NGT Matter
Time Bound (Urgent)

Ref. No. B-633

Ranchi, Dated. 01/03/2024

From,

Yatindra Kumar Das,
Member Secretary.

To,

The Deputy Commissioner – Cum –
Chairman, District Task Force (Mining),
Saraikela-Kharsawan.
The District Mining Officer – Cum –
Member Secretary, District Task Force (Mining),
Saraikela-Kharsawan.

Annexure A

Sub: - Action Taken Report against the illegal sand mining in light of the order dated 22/02/2024 in O. A. No. 157/2024 in the matter of News item titled "Jamshedpur Border Area Mining Department Action - Kapali ke Gauri Balu Ghat par Khanan Vibhag ka Chhapa, Balu lade tractor samet anya samaan jabt" appearing in Sharp Bharat dated 09.01.2024 – Regarding.

Sir,

With reference to the above noted subject, it is, to inform that the Hon'ble NGT, Principal Bench, New Delhi on dated 22/02/2024 in O. A. No. 157/2024 in the matter of News item titled "Jamshedpur Border Area Mining Department Action - Kapali ke Gauri Balu Ghat par Khanan Vibhag ka Chhapa, Balu lade tractor samet anya samaan jabt" appearing in Sharp Bharat dated 09.01.2024 has taken the matter for hearing and passed the order (copy enclosed). The OA is transferred to the Eastern Zonal Bench for appropriate further action. The matter will be listed before Eastern Zone Bench at Kolkata on 02.04.2024.

In light of the above, it is, hereby directed to submit the Action Taken Report against the illegal sand mining in light with the above said News Item appearing in Sharp Bharat dated 09.01.2024 to the undersigned by 15/03/2024 so that the Response may be filed in time before the Ho'ble NGT, EZB, Kolkata.

This issues with the approval of the Competent Authority.

Encl: As above

Yours Sincerely

Sd/-

(Yatindra Kumar Das)
Member Secretary

Memo No. B-633

Ranchi, Dated. 01/03/2024

Copy to: The Regional Officer, JSPCB Regional Office – Cum – Laboratory, Jamshedpur for information and it is directed to follow up with the District Task Force (Mining), Saraikela-Kharsawan and get the Action Taken Report at an earliest.

KMB/704



(Yatindra Kumar Das)
Member Secretary

[Handwritten mark]

ANNEXURE 4

14

Annexure 4
(10)

झारखण्ड सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग
जिला खनन कार्यालय, सरायकेला-खरसावाँ

पत्रांक ..159../एम०, दिनांक 09/03/2024.

प्रेषक,

जिला खनन पदाधिकारी,
सरायकेला-खरसावाँ।

सेवा में,

श्री यतीन्द्र कुमार दास,
सदस्य सचिव,
झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्वद,
धुर्वा राँची।

विषय :-

Action Taken Report against the illegal sand mining in light of the order dated 22/02/2024 in O.A. No - 157/2024 in the matter of news item titled "Jamshedpur Border area Mining Department Action - Kapali ke Gauri Balu Ghat par Khanan Vibhag ka Chhapa, Balu lade tractor samet anya samaan jabe" appearing in Sharp Bharat dated 09.01.2024 - Regarding.

प्रसंग :-

भवदीय पत्र संख्या Ref. No - B - 633, Ranchi, दिनांक 01.03.2024

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में सूचित करते हुए कहना है कि News item titled "Jamshedpur Border area Mining Department Action - Kapali ke Gauri Balu Ghat par Khanan Vibhag ka Chhapa, Balu lade tractor samet anya samaan jabe" से संबंधित मामले में दिनांक 09.01.2024 को 11.00 बजे पूर्वाह्न में आदित्यपुर स्थित गौरी एवं सापडा चालू घाट का निरीक्षण के उपरान्त पाये गए अनियमितता के संबंध में सरायकेला-खरसावाँ जिलान्तर्गत कपाली थाना (ओ०पी०) में प्राथमिकी दायर की गयी है, जिसका थाना काण्ड संख्या 11/2024 दिनांक 09.01.2024 है। जिसकी छायाप्रति अवलोकन हेतु इस पत्र के साथ संलग्न करते हुए कृपया भेजी जा रही है।

अनुलग्नक :- यथोक्त।

विश्वासभाक्त

(Signature)
09.03.2024
जिला खनन पदाधिकारी,
सरायकेला-खरसावाँ।

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जांच फार्म -I)

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. District (जिला): सराइकेला P.S. (थाना): चान्डिल Year (वर्ष): 2024
FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0011 Date and Time of FIR (प्र.सू.रि.की दिनांक और समय): 09/01/2024 18:00बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	भा द सं 1860	414
2	भा द सं 1860	34
3	झारखंड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004	4
4	झारखंड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004	54
5	खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957	21
6	झारखंड खनिज (अवैध खनन पर रोक, परिवहन और भंडारण) नियम, 2017	9

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):
1. Day (दिन):मंगलवार Date From (दिनांक से):09/01/2024 Date To (दिनांक तक):09/01/2024
Time Period (समय अवधि):पहर 4 Time From (समय से):11:00 बजे Time To (समय तक):11:00 बजे
(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):
Date (दिनांक):09/01/2024 Time (समय):18:00 बजे
(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):
Entry No. (प्रविष्टि सं.): 002 Date & Time (दिनांक और समय):09/01/2024 19:14 बजे
4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित
5. Place of Occurrence (घटनास्थल):
1. (a) Direction and distance from P.S.(थाना से दूरी और दिशा): दक्षिण - पूर्व, 26 Beat No.(बीट सं.):
(b) Address (पता): Gouri Balu Ghat Kapali
(c) In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर है तो):
Name of P.S.(थाना का नाम): District(State) (ज़िला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): Sanny Kumar

(b) Father's Name (पिता का नाम): Pramod kumar anhu

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1993

(e) UID No. (यूआईडी सं.): 636398663931

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card, Votor ID Card, Pasesport, UID No., Driving Liconso, PAN)

S.No. (क्र.सं.) Id Type (पहचान पत्र का प्रकार)

Id Number (पहचान संख्या)

(h) Address (पता):

1	वर्तमान पता	Jila Khanan Karyalay , सरायकेला, सराइकेला, झारखंड, भारत
2	स्थायी पता	Jila Khanan Karyalay , सरायकेला, सराइकेला, झारखंड, भारत

(i) Occupation (व्यवसाय):

(j) Phone number (दूरभाष सं.):

Mobile (मोबाइल सं.):

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (जात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या):

S.No. (क्र. सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)
1	Unknown1			

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (संपत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति का प्रकार)	Description (विवरण)	Value (In Rs/-) (मूल्य (रु में))
-----------------	------------------------------------	------------------------------------	---------------------	----------------------------------


10 Total value of property (In Rs/-)-सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में):

11 Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी. प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.) UIDB Number (यू.डी. प्रकरण सं.)

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

सेवा में ओपीओ प्रभारी कपाली विषय प्राथमिकी दर्ज करने के संबंध में, महाशय उपरोक्त विषय के संबंध में सदरपूर्वक कहना है कि आज दिनांक 09.01.24 को पूर्वाह्न लगभग 11:00 बजे उपायुक्त सरायकेला खरसावां के पत्रांक 07/ गो0 सरायकेला दिनांक 03.01.24 के द्वारा प्राप्त पत्र निर्देश के आलोक में पुलिस केंद्र से प्रतिनियुक्त 04 पुलिस बल के साथ आदित्यपुर स्थित छपरा एवं गौरी बालू घाट का निरीक्षण किया गया निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि कुछ लोग द्वारा ड्रम पर प्लेटफार्म बनकर नदी से बालू उत्खनन कर रहे थे एवं एक ट्रैक्टर सराज 735 ST Model No-735 ST जिसका इंजन नं- 39.1355/SFG 18110 चेचिस नं- MBNAN48ADPTH12110 जिस पर बालू लगभग 100 सेपटी लटा हुआ है के द्वारा अवैध बालू निकलते हुए पाया गया पुलिस बल के देखकर अवैध उत्खनन कर रहे व्यक्ति /व्यक्तियों भागने में सफल रहे एवं उक्त ट्रैक्टर के चालक भी पुलिस बल के पिछा करने पर भागने में सफल रहे। थाना प्रभारी कपाली को दूरभाष पर सूचना देने के उपरांत थाना प्रभारी कपाली महोदय के द्वारा श्री दिनेश कुमार के साथ चार 04 सशस्त्र बल को भेजा गया। उक्त स्थल पर कोई भेद बालू घाट संचालित नहीं है जिसमें स्पष्ट है कि अवैध उत्खनन



N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जांच फार्म -I)

धरता एवं अवैध परिवहन कर्ता के द्वारा अवैध रूप से बालू लघु खनिज या उत्खनन परिवहन किया जा रहा है। स्थल पर जो ड्रम एवं अन्य के साथ प्लेटफार्म बनाने पर अवैध उत्खनन किया जा रहा है जो झारखंड बालू खनिज समानुदायनियमावली 2004 संशोधित के नियम 04 (2) के तहत जासूस धाना प्रभारी कपाली के सुपुर्द किया गया एवं स्थल पर से स प्लेटफार्म को नष्ट कर दिया गया अवैध बालू निकासी करते हुए पाए गए ट्रैक्टर की पुलिस चाल की सहायक से कपाली धाना प्रभारी को झारखंड लघु खनिज समानुदाय नियमावली 2004 धारा संशोधन के नियम 54 (2) के तहत जप्त कर कपाली धाना प्रभारी को सुपुर्द किया गया (जमी सूची संलग्न) अवैध खनन परिवहन कर्ता के MMDR एक्ट 1957 की धारा 4 के उल्लंघन किया गया है एवं MMDR एक्ट 1957 की धारा 21 के तहत दंडनीय है साथ ही झारखंड लघु खनिज समानुदाय नियमावली 2004 धारा संशोधन के नियम 04 एवं 54 का उल्लंघन है, The Jharkhand Mineral Provention Of Illegal Mining transportation and Storage rule 2019 के नियम 09 का भी उल्लंघन है अतः अनुरोध है कि अज्ञात चालक/ याहन के मालिक एवं अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध उपरोक्त धाराओं नियमों के तहत प्राथमिक की दर्ज करने की कृपा करें। सत्री सुमार जिला- खनन पदाधिकारी सरायकेला-खरसावाँ उम- 31 वर्ष पता जिला खनन कार्यालय, पिता श्री प्रमोद सुमार साहु। 636398663931

13 Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2. (की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है।)

- (1) Registered the case and took up the investigation: (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): or (या)
- (2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): Shanti Minz Rank (पद): Asst. SI (Assistant Sub-Inspector) No.(सं.): 2005251 to take up the investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or
- (3) Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इंकार किया या)
- (4) Transferred to P.S.(थाना): District (ज़िला): on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R. read over to the complainant / Informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी।)

R.O.A.C.(आर. ओ .ए .सी.)

14 Signature/Thumb Impression of the complainant / informant.(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

15 Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

CK Shaha
09/10/24

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)
Name DINESH THAKUR
Rank SI (Sub-Inspector)
No.(सं.): 110183546004



N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण : (यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (वनावट)	Height (cms.) (कद (से.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1						
Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)		Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँसे)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8		9	10	11	12	13
Language /Dialect (भाषा/बोली)	Place Of (का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (लुकोदेर्मा(सफ़ेद धब्बे))	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है।)



सेवा में,

थाना प्रभारी,
ईचागढ़ थाना ।


विषय: प्राथमिकी दर्ज करने के संबंध में ।

महाराज,

उपर्युक्त विषय के संबंध में शहर पूर्वक कटना है की
 दिनांक 03.04.2024 को अपराहन 8.35 बजे उपायुक्त,
 सरायकेला-खरसावाँ के आदेश ज्ञापक 538/गौ. दिनांक 27.03.2024
 के द्वारा प्राप्त निर्देश के आनीक में अनुमंडल पदाधिकारी, चखिन
 के अध्यक्षता में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, जयौदस्ताक्षरी के
 साथ संयुक्त रूप में मौजा गौरामकौचा में कन्नस्थान के जंगल
 में (Co-ordinate:- 23.02392° N : 85.95124° E) लगभग 32,000 CFT
 तथा वहाँ से करिव 50 मीटर आगे Road के opposite direction
 में लगभग दो लाख घन मीटर (Co-ordinate:- 23.02251 N :
 85.95093° E) जंगल का गण्डारण पाया गया । अवैध जंगल
 गण्डारण स्थल पर किसी व्यक्ति/ व्यक्तियों की बंदी पाया
 गया । अवैध जंगल को जलत कर थाना प्रभारी, ईचागढ़
 थाना को सुरक्षार्थ निम्ना किया गया । इमारखण्ड लघु खनिज
 समनुदान नियमवली 2004 (यथा संशोधित) के नियम-4
 एवं 54 का उल्लंघन है तथा The Orissa Mineral
 Proventiion of Illegal Mining & Storage Rule, 2017
 के नियम 9 का भी उल्लंघन है ।

अतः अनुरोध है की अज्ञात के निरुद्ध उपर्युक्त
 धाराओं / नियमों के तहत प्राथमिकी दर्ज करने की कृपा करें ।

Received
 Viplom aditya
 04-04-24
 O/c
 Ichagadh PS


 04.04.2024
 (ज्योति शंकर शतपथी)
 जिला खनिज पदाधिकारी
 सरायकेला-खरसावाँ
 इम्त - 41
 पत्रा: जिला खनिज कार्यालय
 सरायकेला-खरसावाँ
 आधार नं.: 328242379210

जल्दी सूची

- ① प्रयाग जिला कृषाधिकारी-सह-उपायुक्त का कार्यालय आदेश
क्रमांक- 538/गौ०, दिनांक-27/03/2024.
- ② तिथि एवं समय - 03/04/2024, समय- 8:35 PM लगभग
- ③ स्थान जहाँ जल बिगा गया - मौजा- गोरंगकोचा (कत्रीस्थान के)
बगल
- ④ जवाह का नाम एवं पता -
 (i) दीपक प्रकाश शंभर/बुधवार/ईलाहाबाद
 (ii) विक्रमादित्य पाण्डेय, भाना प्रगरी, ईलाहाबाद
- ⑤ जल बिगा गया वस्तु का विवरण - बालू लघु खनिज
लगभग 3300CFT
- ⑥ जवाहों का हस्ताक्षर जिनके सामने जल बिगा गया
 (i) अज्ञात
 (ii) Vikramaditya
03-04-24
अज्ञात PS
- ⑦ जल जल कले वाले पहाधिकारी का नाम एवं हस्ताक्षर


 03-04-2024
 श्री शंकर शतपथी
 जिला खनन पहाधिकारी, परामर्शना
 बरसावाँ

अली धरती

- ① प्रसंग :- चिप्टा दण्डाधिकारी - लुध - उपारक का कार्यालय,
सुपारगवेला-खरसावाँ रेखास्थ कार्यालय 538/एक दिनांक 27/3/24
- ② त्रिभुज एवं लगभः - गाँजा-जोषांबोवा 03/04/24 एक 9-0000
- ③ स्थान चर्चा अक्ष किया गया - गाँजा जोषांबोवा
- ④ गाँजा के नाम के फ्लॉ
निष्कर्षादिनांक पास, वाला प्रगती ईचमद
(i) राजकीर्ण नाशन, जिला लुधन कार्यालय, सुपारगवेला - खरसावाँ
(ii)
- ⑤ अक्ष किया गया वस्तु का विक्रय :- अक्ष लालक लक्ष्मि
दिनांक 2000000 एच
- ⑥ गाँजा का हस्तार
(i) विक्रमदिनांक
03-04-24
(ii) 03/04/24
- ⑦ अक्ष वरि को फदाधिकारी का नाम के फ्लॉ


 03.04.2024
 जोगेश शंकर शास्त्री
 जिला लुधन फदाधिकारी
 सुपारगवेला - खरसावाँ



जिला दण्डाधिकारी-सह-उपायुक्त का कार्यालय, सरायकेला-खरसावाँ
(गोपनीय शाखा)

पत्रांक.....547/गो0

उपायुक्त,
सरायकेला-खरसावाँ।

सेवा में,

1. अनुमण्डल पदाधिकारी, चाण्डिल
2. जिला परिवहन पदाधिकारी, सरायकेला-खरसावाँ
3. जिला खनन पदाधिकारी, सरायकेला-खरसावाँ
4. अंचल अधिकारी, ईचागढ़/कुकड़ू

सरायकेला, दिनांक..01/04/2024

विषय :-

सरायकेला-खरसावाँ जिला के विभिन्न थाना क्षेत्रों में बालू माफियाओं के द्वारा अवैध बालू का उत्खनन कर सप्लाई किये जाने के संबंध में।

प्रसंग :-

पुलिस अधीक्षक (आसूचना), विशेष शाखा, झारखण्ड, राँची का पत्र ज्ञापांक-307, दिनांक-01.04.2024

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में सूचित करना है कि ईचागढ़ थाना क्षेत्र के तमारी, खिरी, बामुनडीह, हाड़त बालू घाटों एवं तिरुलडीह थाना क्षेत्र के तिरुलडीह, सापड़ा, सापारूम, पेलौंग बालू घाट तथा चौका थाना क्षेत्र के कुन्दरीलौंग, बालीडीह बालू घाट से बालू माफियाओं द्वारा अवैध बालू का उत्खनन कर बिना नम्बर प्लेट के ट्रैक्टर/ट्रक/हाईवा में लोड कर बालू का शहरी क्षेत्र एवं बंगाल में सप्लाई किया जाता है। अवैध बालू उत्खनन/परिवहन पर प्रभावी रूप से रोक लगाया जाना आवश्यक है।

उपरोक्त वर्णित के क्रम में निदेश दिया जाता है कि उक्त क्षेत्रों में अवैध बालू उत्खनन पर रोक लगाने हेतु संयुक्त रूप से औचक छापामारी कर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।


अनुलग्नक- यथोक्त।

विश्वासभाजन

[Signature]
उपायुक्त,
सरायकेला-खरसावाँ

*Affidavit
to be ready
for DC*

*Annexure
FIR No
S/L*



विशेष शाखा, झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक 01/04/2024

क्रमांक 307/विकास प्र0
सरायकेला-खरसावा
सेवा में,

खत
DTO/DMO/SDO/CO

उपायुक्त/पुलिस अधीक्षक,
सरायकेला-खरसावा।

विषय :- सरायकेला-खरसावा जिला के विभिन्न थाना क्षेत्रों में बालू माफियाओं के द्वारा अवैध बालू का उत्खनन कर सप्लाई किये जाने के संबंध में।
महाशय,

प्राप्त सूचनानुसार, सरायकेला-खरसावा जिला अंतर्गत ईचागढ़ थाना क्षेत्र के तमारी, खिरी, बामुनडीह, हाइत बालू घाटों एवं तिरुलडीह थाना क्षेत्र के तिरुलडीह सापड़ा, सापारुम, पैलौंग बालू घाट तथा चौका थाना क्षेत्र के कुन्दरीलौंग, बालीडीह बालू घाट से बालू माफियाओं द्वारा अवैध बालू का उत्खनन कर बिना नम्बर प्लेट के ट्रैक्टर/ट्रक/हाईवा में लोड कर शहरी क्षेत्र एवं बंगाल में सप्लाई किये जाने की सूचना है।

अतः उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में जांचोपरांत अग्रतर कार्रवाई अपेक्षित है। उक्त आसूचना का ना तो कहीं उल्लेख किया जाय ना ही किसी पत्र में संदर्भ दिया जाय। यह सत्यापन एवं तदोपरांत यथोचित कार्रवाई हेतु प्रेषित है।

पुलिस अधीक्षक (आसूचना),
विशेष शाखा, झारखण्ड, राँची।

प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त, कोल्हान, प्रमण्डल, चाईबासा को कृपया सूचनार्थ।
2. पुलिस महानिरीक्षक, विशेष शाखा, झारखण्ड, राँची को कृपया सूचनार्थ।
3. पुलिस उप-महानिरीक्षक, कोल्हान क्षेत्र, चाईबासा को कृपया सूचनार्थ।
4. पुलिस उप-महानिरीक्षक, विशेष शाखा, झारखण्ड, राँची को कृपया सूचनार्थ।
5. पुलिस उपाधीक्षक, वि0शा0, सरायकेला को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ।

पुलिस अधीक्षक (आसूचना),
विशेष शाखा, झारखण्ड, राँची।

झारखण्ड सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग
जिला खनन कार्यालय, सरायकेला-खरसावाँ
पत्रांक 233/एम०, दिनांक 26/3/24

प्रेषक,

जिला खनन पदाधिकारी,
सरायकेला-खरसावाँ।

सेवा में,

उपायुक्त,
सरायकेला-खरसावाँ।

विषय :- चाण्डिल अनुमण्डल अन्तर्गत ईचागढ़ एवं कुकडू थाना क्षेत्र में अवैध उत्खनन / परिवहन की रोकथाम हेतु औचक निरीक्षण प्रतिवेदन भेजने के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में सादर पूर्वक सूचित करना है कि प्राप्त सूचना के आधार पर अद्योहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 19.03.2024 को लगभग 1:00 बजे अपराह्न में चाण्डिल अनुमण्डल अन्तर्गत ईचागढ़ एवं कुकडू थाना क्षेत्र अन्तर्गत मौजा - सोरो एवं सापारूम क्षेत्र में धारित अनुज्ञप्ति क्षेत्र एवं स्वर्णरेखा नदी तट का स्थलीय निरीक्षण किया गया। मौजा - सोरो एवं सापारूम क्षेत्र में धारित अनुज्ञप्ति क्षेत्र पर पाये गये अनियमितताओं के बावत कारण पृच्छा नोटिस निर्गत किया गया है। निरीक्षण के क्रम में किसी प्रकार का अवैध बालू उत्खनन / परिवहन होते हुए नहीं पाया गया। (चित्र की प्रति संलग्न)

उल्लेखनिय है कि स्वर्णरेखा नदी तट पर वाहनों के चक्के का चिन्ह दिखायी दिया, जिसके अवलोकन से यह प्रतीत हो रहा है कि उक्त क्षेत्र से बालू का अवैध उत्खनन होता है।

अतः भवदीय से सादर अनुरोध है कि जिला स्तरीय माईनिंग टास्क फोर्स के साथ संयुक्त रूप से एक तिथि का निर्धारण कर औचक छापेमारी करने हेतु सभी सदस्यों को निदेश देने की कृपा की जाय, ताकि अवैध उत्खनन / परिवहन कर्ताओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई किया जा सके।

भवदीय को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त।

विश्वासभाजनी

Kataph
26.03.2024

जिला खनन पदाधिकारी,
सरायकेला-खरसावाँ।

Bari
26/03/24



आ.सी. प्रजापति
कपाली

विषय: मापकरी एवं प्रजापति के संबंध में।

महाराज,

उपरोक्त विषय के संबंध में सादर सूची सूचना है कि अद्य दिनांक 09-01-2024 को पुलिस ठाण्डा 22 एवं आधुनिक सारायकेला खरकावें के पत्रांक 03/जांम सारायकेला दिनांक 03-01-2024 के कार्य प्राप्त निदेश के अन्तर्गत में पुलिस ठाण्डा के प्रतियुक्त 04 पुलिस बल के साथ आद्वयुक्त सिविल साइकल में जोड़े वालू चार का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में पता चला कि उक्त लोक डाय ग्राम पुट लेटफार्ज बना कर रहे हैं वालू उल्लेख कर रहे हैं एवं एक हेमल SWAPN 735X7 Model No 735X7 जिसका Engine No 39.1355/SF618110, Chain No MBNAN48ADPTH12110 जिस पर वालू लगेगा 200 एफ लदा हुआ है के साथ अवेध वालू निकाली हुए पाया गया। पुलिस बल की देख रक अवेध उल्लेख कर रहे व्यक्ति/व्यक्तियों कागरे में समल रहे हैं उक्त हेमल के चालक की पुलिस बल के पिदा करी पर कागरे में समल रहे। आ.सी. प्रजापति कपाली को सूचना पर सूचना देने के उपरान्त, थाना प्रजापति कपाली अवेध के साथ श्री निदेश प्रजापति के साथ 04 सदस्य बल में गेला गया। उक्त स्थल पर श्री बेंच वालू चार सेवारित नहीं हैं जिसके स्पष्ट है कि अवेध उल्लेख करी एवं अवेध परिवहन करी के बल अवेध एवं के वालू लख रविवर का उल्लेख/परिवहन किया जा रहा है स्थल पर ली शक पर शक के साथ लेटफार्ज बना कर अवेध उल्लेख किया जा रहा है जो आररव लख रविवर समुदाय नियमावली 2004 यथा संशोधित के नियम 54(2) के तहत उक्त कर थाना प्रजापति, कपाली के सुपुर्त किया गया एवं स्थल पर शक लेटफार्ज को नष्ट कर दिया गया अवेध वालू निकाली करी हुए पाया जा रहा है उक्त की पुलिस बल के सदस्यों को सूची थाना प्रजापति में आररव लख रविवर समुदाय नियमावली 2004 यथा संशोधित के नियम 54(2) के तहत उक्त कर कपाली थाना प्रजापति सुपुर्त किया गया (एवं सूची अंतर्गत)

[Handwritten signature]

16

अंतर्गत एवम्/पुस्तक शर्ती के अन्तर्गत 1952 की धारा 4 का उल्लंघन किया गया है एवं MMOR Act 1952 की धारा 2 के तहत दंडनीय है साथ ही अन्तर्गत लक्ष्य रक्षित सम्पत्ति का अन्तर्गत 2004 तथा अन्तर्गत के नियम 9 एवं 54 का उल्लंघन है, The Shankhand mineral Prevention of illegal mining Transportation and Storage Rules 2017 का भी उल्लंघन है।


अतः अज्ञेय है कि अन्तर्गत चालक/वहने के गतिमक एवं अन्य अन्तर्गत चालक/वहने के अन्तर्गत उल्लंघन धाराओं/नियमों के तहत प्राथमिकी के तहत की जायेगी।



09/01/24

श्री प्रमोद कुमार
जिला एवम् पदा
को एवम्
उम्र - 31 वर्ष
पता - जिला एवम् कार्यालय
को एवम्
पता - श्री प्रमोद कुमार साहू
636398663931



forwarded to otc chandil for instituting a case u/s 414/34 IPC & 21MMOR, 4/54 JMML Rule 2004, & 9 The Shankhand mineral Prevention of illegal mining Transportation & Storage Rule 2017 ASE shanti minz will PIZ Investigate this case.


09/01/24
OTC
Kopali

Registered Chandl (Kopali) PS case No. 11/24 dt 09/01/24
U/S- 414/34 IPC, 21 MMOR, 4/54 JMML Rule 2004 & 9 The
Shankhand minerals Prevention of illegal mining Transportation
and Storage Rule 2017. ASI Shanti Minz will PIZ investigate
de this case. 

17

जप्ती सूची

01. प्रसंग:- मिस्टर अशोक कुमार - सट - व्यापकता का कार्यालय सभारो के पास 03 दि
दिनांक 03/01/2024

02. तिथि एवं समय:- 09.01.2024 व्यक्ति 11:45 बजे

03. स्थान जहाँ जप्त किया गया है:- सापड़ा बाल झील

04. गवाह का नाम एवं पता:-

- A. पुंजु निठ दिनेश कुमार पेट-बसंत प्रसाद पता- कपाली शोणवीर
में पुंजु निठ के घर पर पदस्थित, पता- चार्लिन निठ- भराप्रवेला-स्वरसाफ
- B. श्रीजिथारि नाम, पता स्वयं कुल नाम, ग्राम- डुली, पोस्ट- पधनगाट
पता- सदाप्रवेला । वर्तमान व्यवस्था संपत्ति पर डुली का पते
के पद पर निठ को लगाने का प्रमाण, सदाप्रवेला- (वर्तमान में वर्तमान में)

05. जप्त किया गया वस्तु का विवरणी:- ① Tractor - SWARAJ 735 XT, Model 735 XT

- ② बांस - 05
- ③ लकड़ी का चदप - 02
- ④ लकड़ी का शक - 08
- ⑤ लकड़ी का शक - 05

Engine No 39.1355 / 5F918110
Chassis No - MBNAN48ADPTH 12 110
Sand - Appx 100 cft loaded

06. गवाहों का हस्ताक्षर जिनके सामने जप्त किया गया:-

A. [Signature]

B. [Signature]

07. अभियुक्त का हस्ताक्षर:-

08. जप्त करने वाले पुलिस पदाधिकारी का नाम/पद एवं हस्ताक्षर:-



[Signature]
03/01/24
मिस्टर अशोक कुमार
सभारो

झारखण्ड सरकार
 खान एवं भूतत्व विभाग
 जिला खनन कार्यालय, सरायकेला-खरसावाँ
 पत्रांक .6.54./एम०, दिनांक .12/10/23..

प्रेषक,

जिला खनन पदाधिकारी,
 सरायकेला-खरसावाँ ।

सेवा में,

उपायुक्त,
 सरायकेला-खरसावाँ ।

विषय :- माननीय मुख्यमंत्री के अध्यक्षता में दिनांक 13.10.2023 को आयोजित बैठक हेतु प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में ।

प्रसंग :- भवदीय पत्रांक 1143/गो०, सरायकेला, दिनांक 09.10.2023

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में इस जिलान्तर्गत माह जनवरी 2023 से दिनांक 10.10.2023 तक माहवार अवैध खनन / परिवहन / भण्डारण के मामले में की गई कार्रवाई प्रतिवेदन इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजी जा रही हैं ।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन



जिला खनन पदाधिकारी,
 सरायकेला-खरसावाँ ।

जिला खनन कार्यालय, सरायकेला-खरसावाँ

पुलिस अधीक्षक, सरायकेला-खरसावाँ से प्राप्त माह जनवरी 2023 से दिनांक 10.10.2023 तक अर्थात् खनिकर्म/भण्डारण/परिवहन के विरुद्ध की गई कार्रवाई प्रतिवेदन :-

माह का नाम	छापेमारी की संख्या	प्रतिवेदित काण्डों की संख्या	गिरफ्तारी	वरामदगी	जप्त वाहन
जनवरी 2023		04			पिक अप गाडी - 01,
फरवरी 2023		00			ट्रक - 03
मार्च 2023		06			हाईवा - 18
अप्रैल 2023		07			ट्रेक्टर - 18
मई 2023		02			उम्फर - 01
जून 2023		00	11		टाटा 407 - 06
जुलाई 2023	29	02		कोयला - 50 टन, 25210 किलोग्राम। लोहे का अयस्क - 4,476.753 Cft, कोयला - 1200 Cft	टेम्पु - 01
अगस्त 2023		07		अन्य खनिज 505 Cft	पीकअप - 01
सितम्बर 2023		02		बाजू 10,02,821 Cft	टेलर - 01
अक्टुबर 2023		00			मोपेड - 01
10.10.2023 तक कुल		30	11		51

1. जिला खनन कार्यालय, सरायकेला-खरसावाँ के द्वारा माह जनवरी 2023 से अद्यतन कुल 22 वाहनों पर खनिज मुल्य की दुगुनी राशि कुल 6.54 लाख वसूली गई है, तथा माह अप्रैल 2023 से अद्यतन कुल 19 वाहनों पर खनिज मुल्य की दुगुनी राशि कुल 6.28 लाख वसूली गई है ।

2. जिला स्तरीय माईनिंग टास्क फोर्स की बैठक की तिथि निम्नवत् है :-

Dated - 17/04/2023
Dated - 19/05/2023
Dated - 12/06/2023
Dated - 11/08/2023
Dated - 11.10.2023


 जिला खनन पदाधिकारी,
 सरायकेला-खरसावाँ ।